मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को आयोजित उन्नीसवीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) की 19वीं बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के साथ–साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ0 आशीष कुमार भूटानी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र के विभागों/संस्थाओं यथा कृषि, पशुपालन, उद्यान, डेयरी, सिंचाई, लघु सिंचाई, मत्स्य, सहकारिता, रेशम, कृषि विविधीकरण परियोजना, उपकार एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय आदि के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष/ प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा समस्त अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि :–

- वर्ष 2015–16 में केन्द्र स्तर से 50 : 50 के फन्डिंग पैटर्न पर आर0के0वी0वाई0–सामान्य एवं उपयोजनाओं यथा–बी0जी0आर0ई0आई0 एवं क्राप डायवर्सीफिकेशन प्रोग्राम हेतु क्रमशः रू0 347.94 करोड़ तथा रू0 279.00 करोड़, कुल रू0 626.94 करोड़ का एलोकेशन निर्गत किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर0के0वी0वाई0–सामान्य के अतिरिक्त केवल बी0जी0आर0ई0आई0, क्राप डायवर्सीफिकेशन प्रोग्राम तथा एडीशनल फाडर डवलपमेंट प्रोग्राम उपयोजना क्रियान्वित की जा रही है।
- वर्ष 2015–16 में **आर0के0वी0वाई0–सामान्य** के अन्तर्गत विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि रू0 73.88 करोड़ उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष केन्द्र स्तर से रू0 71.59 करोड़ की धनराशि पुनर्वैध की गई है। उपलब्ध पुनर्वैध धनराशि का उपयोग शत--प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के अनुमोदनानुसार किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध रू0 66.01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ कार्यदायी विभागों के पक्ष में जारी की जा चुकी हैं तथा रू0 17.17 करोड़ का व्यय कराया जा चुका है।
- इसके अतिरिक्त केन्द्र स्तर से रू0 347.94 करोड़ का मात्राकरण 50 : 50 के फंन्डिंग पैटर्न के अनुसार प्राप्त हुआ है, जिसे सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 421.82 करोड़ की उपलब्धता सम्भावित है। एलोकेशन के सापेक्ष प्रथम किस्त की धनराशि रू0 86.99 करोड़ केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त कर दी गई है, ज़िसके विरूद्ध वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी कराने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।
- वर्ष 2015–16 में बी0जी0आर0ई0आई0–उपयोजना के अन्तर्गत विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि रू0 29.46 करोड़ उपलब्ध है। केन्द्र स्तर से अप्रयुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 29.18 करोड़ की

JDA (Pulses)
18-11-2015

Consult RKVY
20-11-2015

Sri K.N. Giri

कृ0 उत्पादन कार्यदायी विभागों को भिजवायें।
20/11/15

सलाहकार
रा0कृ0वि0यो0